2023/145-145

खाता दुरूस्ती आवेदन पत्र

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 धारा 136)

उपखण्ड अधिकारी महोदय,

महंगाई राहत कैम्प

राजस्व रिकॉर्ड के संग अभियान-2023

विषय – राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती फरमाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम तबीजी पटवार मण्डल तबीजी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तबीजी तहसील अजमेर की जमाबंदी संवत 2041 खाता सं0 232 में जगदीशचन्द पुत्र मांगीलाल की बजाय [illegible] अंकन है। जबकि जमाबंदी संवत 2022-2075 के खाता संख्या 232 में संपूर्ण [illegible] जगदीशचन्द पुत्र मांगीलाल [illegible] अंकन दर्ज है उक्त अंकन वर्तमान जमाबंदी में बिना किसी आधार के गलत अंकन हो गया। अतः जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी सं0 328 के अनुसार दुरूस्ती करने की कृपा करावे।

प्रार्थी

दिनांक .....

पता तबीजी (अजमेर)

संलग्न–

मो0 नं0 9982215230

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच की गई कि प्रार्थी द्वारा अपने विक्रय पत्र दिनांक 26/2/1996 व ई.डी. की जिल्द सं. 1288 क्र.सं. 9452 [illegible] द्वारा खसरा नं. 834 रकबा 21 बी.घा. में जगदीशचन्द पुत्र मांगीलाल के 1/2 हिस्से [illegible] अंकन दर्ज है जो गलत है। अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन [illegible] खसरा नं. 306, 307 बने है। जिनमें मूलविक्रय विक्रय पत्र 26/2/1996 के अनुसार जगदीशचन्द पुत्र मांगीलाल 1/2 हिस्से जाति ब्राह्मण सा.दर तथा श्री 2.52 मांगीलाल 1/2 हिस्से सा.दर दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर पटवारी 03/6/2023 तबीजी

हस्ताक्षर भू.अभिलेख निरीक्षक 03/06/23

हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

प्रमांक उखअ/राजस्व/शिविर/21/106

दिनांक– 3/6/23

00 आदेश 00

(तथा श्री जगदीशचन्द की सहमति के अनुसार)

रिपोर्ट व अनुशंषा पटवारी हल्का तबीजी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तबीजी व तहसीलदार अजमेर के आधार पर ग्राम तबीजी पटवार मण्डल तबीजी भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तबीजी तहसील अजमेर की जमाबंदी के खाता सं 232 खसरा नम्बर (306, 307) पर नवीन अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जो है। तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकॉर्ड का मिलान/जांच एवं मा. न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी करने के पश्चात् ही रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे।

(जगदीश पुत्र मांगीलाल 1/2 हि. व गोकुल पुत्र मांगीलाल 1/2 हि.)

चन्द्रप्रकाशी

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

शिविर प्रभारी

महंगाई राहत कैम्प